ए.एम.जी.-I/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-43/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्या,राजकीय महाविद्यालय, मरगूबपुर हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्या,राजकीय महाविद्यालय, मरगूबपुर हरिद्वार**के माह 09/2014से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय पाल सिंह नेगी व॰ लेखापरीक्षक,श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक13-10-2020 से 19-10-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः**यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्राचार्या,राजकीय महाविद्यालय, मरगूबपुर हरिद्वार**का मुख्य कार्यकलाप छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है।

(ब) **प्राचार्या,राजकीय महाविद्यालय, मरगूबपुर हरिद्वार**के अन्तर्गत बी॰ए॰ 06 विषयों मे संचालित किया जा रहा है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	-	65.09	64.15	-	0.94
2018-19	-	80.13	78.42	-	1.71
2019-20	-	107.46	101.49		5.97
2020-21 (08/2020)	-	56.83	54.93		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत(-)
2017-18					
2018-19	शून्य				
2019-20					
2020-21 (upto 10/2020)					

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकारसे प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव – सचिव - निदेशक - प्राचार्य / संयुक्त निदेशक

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में**प्राचार्या,राजकीय महाविद्यालय, मरगूबपुर हरिद्वार**को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**प्राचार्या,राजकीय महाविद्यालय, मरगूबपुर हरिद्वार**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017,06/2019एवं06/2020को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2'ब'</u>

प्रस्तर01:- महाविद्यालय द्वारा भूमि के पंजीकरण तथा भवन निर्माण के समय भूमि सीमांकन संबंधी आवश्यक कार्यवाही तथा भवन निर्माण की डीपीआर मे चाहरदीवारी का प्रावधान न करके महाविद्यालय स्थापना के मानको के पालन मे लापरवाही बरता जाना

उत्तराखंड शासन के अर्ध शासकीय पत्रांक संख्या 884/XXIV(7)/2014-1धो0/10 दिनांक 11 मार्च 2014 के द्वारा नए राजकीय महाविद्यालयो की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने तथा नवसृजित महाविद्यालयो का विधिवत संचालन किये जाने हेतु समस्त औपचारिकताये समयबद्ध रूप से संपादित करते हुए उनकी संबन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धधता की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने की अपेक्षा की गयी थी। शासन द्वारा मार्च 2014 मे ही स्नातक स्तर पर कला संकाय के कक्षाओ के संचालन हेतु शिक्षक/शिक्षणेत्तर पदो का सृजन कर दिया गया था। संबद्धता हेतु पर्वतीय क्षेत्र एवं नगर निगम क्षेत्र हेतु 5000 वर्ग मीटर, नगर पालिका क्षेत्र हेतु 7000 वर्ग मीटर एवं अन्य क्षेत्र हेतु 10000 वर्ग मीटर की भूमि का मानक निर्धारित किया गया था। राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु मानको के अनुसार 5000 वर्ग मीटर भूमि दान मे प्राप्त की गयी। जिसका पंजीकरण बिना भूमि की पैमाइश एवं सीमांकन के माह दिसंबर 2014 मे तत्कालीन प्राचार्य द्वारा दानकर्ता के साथ किया गया। अस्थायी संबद्धतता प्रदान किये जाने हेतु मानको के निरीक्षण हेतु मार्च 2014 मे ही प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय डोईवाला (देहरादून) को नोडल अधिकारी के रूप मे नामित किया गया था। गठित समिति द्वारा जुलाई 2014 मे स्थलीय जांच की गयी और समिति के सदस्यो द्वारा संतोषजनक पाया गया तथा अस्थायी संबद्धता हेतु सहमति प्रदान की गयी। जिसके पश्चात जनवरी 2015 मे भारत सरकार द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण हेतु रु 333.00 लाख की राशि का वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर कार्यदायी संस्था से भवन का निर्माण कराया गया । कार्यदायी संस्था द्वारा माह 03/2017 मे कार्य पूर्ण कर प्राचार्य को भवन हस्तांतरित कर दिया गया था। अभिलेखो के निरीक्षण मे पाया गया की माह 10/2016 मे भूमि पंजीकरण के लगभग दो वर्ष पश्चात भूमि का दाखिल खारिज कराया गया। तथा भूमि के सीमांकन हेतु उत्तराखंड शासन से अनुरोध किया गया गया। तीन वर्ष पश्चात जून 2017 मे भवन का कार्य पूर्ण होने के बाद लेखपाल द्वारा भूमि की नाप तौल की गयी और नाप मे 1080 वर्ग मीटर भूमि कम पायी गयी। अर्थात महाविद्यालय के पास मात्र 3020 वर्ग मीटर भूमि थी जो महाविद्यालय की संबद्धधता के मानको को पूर्ण नहीं करती। जिससे महाविद्यालय के भावी विकास की संभावना भी नहीं रह गयी।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर कि भूमि के पंजीकरण के पूर्व सीमांकन संबंधी कार्यवाही क्यो नहीं कि गयी। तथा भूमि के पंजीकरण के तीन वर्ष पश्चात विलंब से सीमांकन संबंधी कार्यवाही क्यों की गयी। रु 333.00 लाख का निर्माण कराये जाने के पूर्व मानको से संबन्धित सभी तथ्यो को ध्यान मे क्यो नहीं रखा गया।

इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया की पंजीकरण के समय तत्कालीन प्राचार्य द्वारा यह माना गया की दानकर्ता द्वारा 5000 वर्ग मीटर भूमि दान मे दी गयी है। वर्ष 2017 मे दानकर्ता द्वारा 1020 वर्ग मीटर की भूमि पर मदरसे के कक्षो का निर्माण कराये जाने के कारण भूमि कम हो गयी।

तथा रु 333.00 लाख के निर्माण के समय डीपीआर मे चहारदीवारी का प्राविधान न होने के कारण वास्तविक भूमि का पता नहीं चल सका।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य द्वारा भूमि के पंजीकरण तथा भवन निर्माण के समय सीमांकन संबंधी आवश्यक कार्यवाही तथा भवन निर्माण की डीपीआर मे चाहरदीवारी का प्रावधान नहीं करके महाविद्यालय स्थापना के मानको के पालन मे लापरवाही बरती गयी। 5000 वर्ग मीटर भूमि के मानको को पूर्ण नहीं किये जाने से जहां नैक के प्रत्यायन एवं स्थायी संबद्धता मिलने मे अवरोध उत्पन्न होगा वही दूसरी ओर भूमि की कमी की वजह से महाविद्यालय का भावी विकास जैसे वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय का निर्माण एवं क्रीडा स्थल की उपलब्धता भी संभव नहीं हो पायेगी।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है

<u>भाग 2'ब'</u>

प्रस्तर02:- रु 0.56 लाख की निधियों धनराशि अवरोधन।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार छात्रकोष की राशि उसी मद मे व्यय की जाएगी जिसके लिए बसूल की गयी है,बिन्दु संख्या 6 के अनुसारयदि कोई छात्र महाविध्यालय के छोड़ने के 3 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नहीं देता है तो यह राशि व्यपगत कर दी जाएगी, बिन्दु संख्या 6 के अनुसार यदि किन्ही कारणो से किसी छात्रकोष मे बचत होती है और यह बचत 3 वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कॉलेज की प्रबंध समिति के अनुमोदनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

महाविध्यालय की छात्रनिधियो से संबन्धित लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि छात्र निधियो के अन्तर्गत पत्रिका निधि मे धनराशि प्रति वर्ष प्राप्त हो रही है परंतु उक्त छात्र निधि से धनराशि का विगत वर्षो मे व्यय न कर धनराशि को अवरूद्ध रखा जा रहा है तथा काशन मनी की धनराशि छात्रों द्वारा वापस प्राप्त करने के लिए आवेदन न किए जाने के कारण उक्त निधि मे धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है। वर्तमान मे पत्रिका निधि मे रु 0.36 लाख तथा काशन मनी मे रु 0.20 लाख की धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है।

उक्त निधियो के अन्तर्गत विगत वर्षो मे कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी उक्त निधियो मे रु 0.56 लाख अवरूद्ध रखे जाने के कारण उक्त धनराशि को न ही छात्रों के कल्याणकारी कार्यो पर व्यय किया गया और न ही महाविध्यालय के विकास कार्यो पर व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यो एव आंकणों की पुष्टि करते हुये अवगत करायागया कि भविष्य मे प्रत्येक निधियो मे व्यय किया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः निधियो के अन्तर्गत रु 0.56 लाख की धनराशि के अवरोधन का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर01:- अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 0.29 लाख की कटौती न किया जाना

अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत संशोधित शासनादेश संख्या 214 (1)XXVVIII-3-2020-04/2008.T.C. दिनांक 4/05/2020 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिको एवं पेशनर्स को S.G.H.S. के तहत सातवे वेतनमान के अनुसार C.G.H.S. (Central Government Health Scheme) दरो पर अंशदान नियमानुसार लिया जाएगा।

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 250/- प्रतिमाह
2. वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 450/- प्रतिमाह
3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 650/- प्रतिमाह
4. वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 1000/- प्रतिमाह

विभागाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्तनुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी /आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार की गयी है, एवं कटौतीउपरांत धनराशि राज्यस्वास्थ्य अभिकरण अधिकारी के माध्यम से की गयी है एवंकटौतीउपरांत " राज्यस्वास्थ्य अभिकरण" के खाते मे **E-Transaction** के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जा रही है।

अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविद्यालय मे किसी भी कार्मिक का योजना के अंतर्गत अंशदान की कोई भी कटौतीनहीं की जा रही है। (विवरणसंलग्न)

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि कोषागार स्तरपर कार्यवाही लंबित है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्यालय द्वारा शासनादेश के अनुसार **अटल आयुष्मान योजना** की कटौती प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए थी।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 0.29 लाख की कटौती न किये जाने के प्रकरण को संज्ञान मे लाया जाता है

क्र. स.	नाम एवं पदनाम	वेतन का लेवल	नियमानुसार की जाने वाली कटौती	कुल माह	कुललंबित कटौती
1.	प्रो॰ अर्चना गौतम, प्राचा**र्य**	14	1000	5	5000
2.	डा॰ शैफाली शुक्ल, एसो॰प्रो	13	1000	5	5000
3.	डा॰ मुकेश कुमार गुप्ता, असि॰प्रो	11	650	5	3250
4.	श्रीमती मंजू अग्रवाल, असि॰प्रो	10	650	5	3250
5.	डा॰ गिरिराज सिंह, असि॰प्रो	10	650	5	3250
6.	डा॰ अनिल कुमार, असि॰प्रो	10	650	5	3250
7.	डा॰ प्रवेश कुमार त्रिपाठी, असि॰प्रो	10	650	5	3250
8.	श्री महिपाल सिंह, वरि॰सहा॰	05	250	5	1250
9.	श्रीमती पूनम, सहा॰पुस्त॰	05	250	5	1250
			कुल योग		**रु 28,750**

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ'**	**भाग-II'ब'**	**STAN**
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालयप्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्या,राजकीय महाविद्यालय, मरगूबपुर हरिद्वार**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	प्रो.एस॰पी॰ सिंह	प्राचार्य	10.09.14से 25.08.20
2	प्रो.अर्चना गौतम	प्राचार्या	25.09.18से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्या,राजकीय महाविद्यालय, मरगूबपुर हरिद्वार**को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.1) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए०एम०जी०-I